उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–2
संख्या–2883/II–2015/01 (50)/2011
देहरादूनः दिनांक 7 नवम्बर, 2015
अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 09 संख्या 2013) की धारा 17 (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित पांच मेगावाट एवं उससे न्यून क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को छोडते हुये शेष जल विद्युत परियोजनाओं पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नवत् जलकर निर्धारित कर अधिरोपित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

	विद्युत उत्पादन हेतु उपलब्ध शीर्ष (हेड)	निर्धारित जलकर
1.	30.00 मीटर तक	02 पैसे प्रति घन मीटर
2.	31.00 से 60.00 मीटर तक	05 पैसे प्रति घन मीटर
3.	61.00 से 90.00 मीटर तक	07 पैसे प्रति घन मीटर
4.	90.00 मीटर से अधिक	10 पैसे प्रति घन मीटर

2– उक्तवत् जलकर लागू होने की तारीख से आगामी तीन वर्षो तक प्रभावी रहेगा

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

पृ0संख्या–2883/II–2015/01 (50)/2011 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिंव, मा0 सिंचाई मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमांऊ, पौडी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण खण्ड के भाग–4 में प्रकाशित करते हुये 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।